केंद्र द्वारा समलैंगिक विवाह का विरोध

प्रिलिम्स के लिये:

नवतेजी सिंह जौहर केस, मौलिक अधिकार, पर्सनल लॉ, LGBTQIA+ के अधिकार।

मेन्स के लिये:

समलैंगिक विवाह के पक्ष में तर्क, समलैंगिक विवाह के विरुद्ध तर्क।

चर्चा में क्यों?

केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में समलैंगिक विवाह का विरोध करते हुए कहा है कि **जैविक पुरुष और महिला के बीच विवाह भारत में एक पवित्र मिलन,** संस्कार और परंपरा है।

- भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने कानूनी रूप से समलैंगिक विवाहों को मान्यता दिये जाने की याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय के **पाँच न्यायाधीशों की** संविधान पीठ को भेज दिया।

समलैंगिक विवाह के संदर्भ में सरकार का पक्ष:

- सरकार ने तर्क दिया कि न्यायालय ने नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ के 2018 के अपने फैसले में समलैंगिक व्यक्तियों के बीच **यौन संबंधों को केवल अपराध की श्रेणी से बाहर किया था**, न कि इस 'आचरण' को वैध ठहराया था।
  - न्यायालय ने **समलैंगिकता** को **अपराध की श्रेणी से बाहर करते** हुए इसे संविधान के **अनुच्छेद 21** के तहत जीवन और गरिमा के मौलिक अधिकार के हिस्से के रूप में स्वीकार नहीं किया।
- सरकार का तर्क है कि **विवाह रीति-रिवाजों, प्रथाओं, सांस्कृतिक लोकाचार** और सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करता है।
  - **समलैंगिक विवाह की तुलना पति, पत्नी और बच्चों की भारतीय परिवार इकाई की अवधारणा से नहीं की जा सकती**।
- संसद ने देश में केवल एक पुरुष और महिला के मिलन को मान्यता देने हेतु **विवाह कानूनों का प्रारूप तैयार किया है।**
  - समलैंगिक व्यक्तियों के विवाह का पंजीकरण मौजूदा व्यक्तिगत, साथ ही संहिताबद्ध कानूनी **प्रावधानों का उल्लंघन होगा।**
    - विशेष विवाह अधिनियम, 1954 उन युगल के लिये विवाह का नागरिक अधिकार प्रदान करता है जो अपने व्यक्तिगत कानून के तहत शादी नहीं कर सकते।
- सरकार ने तर्क दिया कि इस मानदंड से कोई भी **परिवर्तन केवल विधायिका के माध्यम से किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं।**

समलैंगिक विवाह के पक्ष में तर्क:

- **कानून के तहत समान अधिकार और संरक्षण:** यौन अभिविन्यास की परवाह किये बिना, हर किसी को विवाह करने और परिवार बसाने का अधिकार है।
  - समान-लिंग वाले जोड़ों के पास विपरीत-लिंगी जोड़ों के **समान कानूनी अधिकार और सुरक्षा** होनी चाहिये।
  - समलैंगिक विवाह की गैर-मान्यता भेदभाव युक्त थी जो LGBTQIA+ जोड़ों **की गरिमा और आत्म-संतुष्टि पर प्रहार करती थी।**
- **परिवारों और समुदायों को मज़बूती प्रदान करना:** विवाह संस्कार जोड़ों और उनके परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक लाभ प्रदान करता है। समान-लिंग वाले जोड़ों को विवाह की अनुमति दिये जाने से उनकी स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देकर परिवारों एवं समुदायों को मज़बूती प्रदान की जा सकती है।
- **वैश्विक स्वीकृति:** विश्व के कई देशों में समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता प्राप्त है, और एक लोकतांत्रिक समाज में व्यक्तियों को इस अधिकार से वंचित करना **वैश्विक सिद्धांतों के खिलाफ** है।
- **समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाले देश:**
  - **133 देशों में** समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, लेकिन उनमें से **केवल 32 देशों में समलैंगिक विवाह को कानूनी**

मान्यता प्राप्त है।

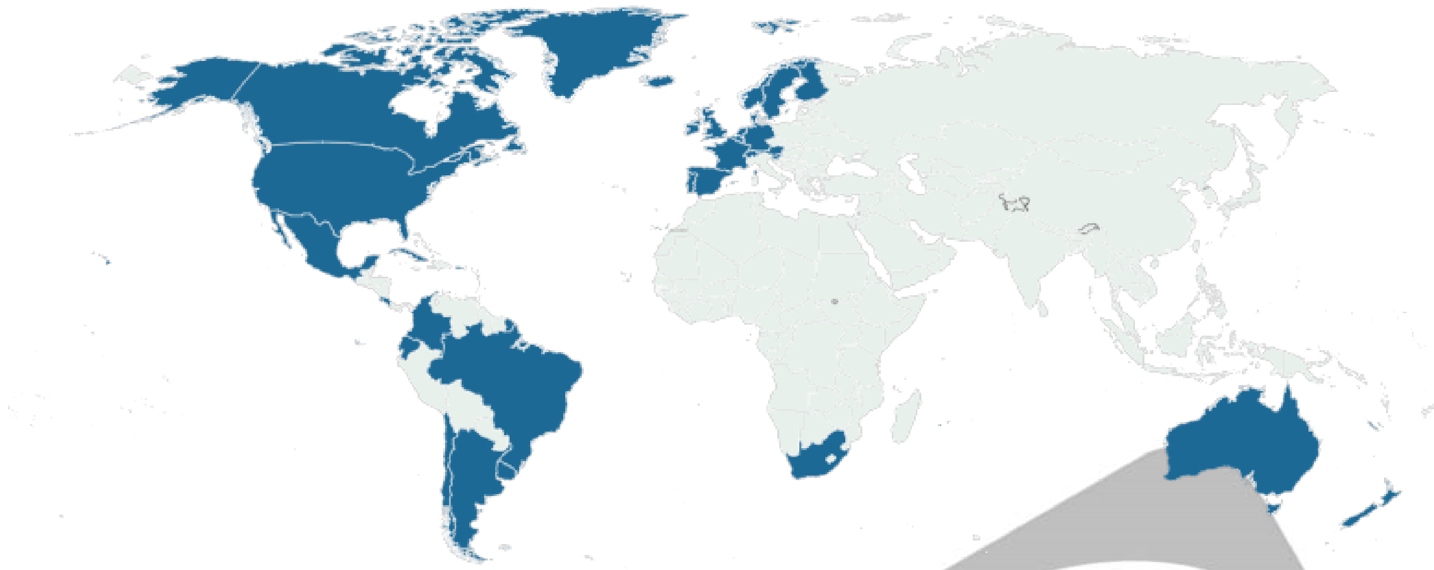

समलैंगिक विवाह के खिलाफ तर्क:

- **धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएँ:** कई धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों का मानना है कि विवाह केवल पुरुष और महिला के मध्य ही होना चाहिये।
    - उनका तर्क है कि **विवाह की पारंपरिक परिभाषा को बदलना उनके विश्वासों और मूल्यों के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ** होगा।
- **प्रजनन:** कुछ लोग तर्क देते हैं कि विवाह का प्राथमिक उद्देश्य संतानोत्पत्ति है और समलैंगिक जोड़ों के जैविक बच्चे नहीं हो सकते।
    - इसलिये उनका मानना है कि समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये क्योंकि यह **प्रकृति के नियमों के खिलाफ** है।
- **कानूनी मुद्दे:** ऐसी चिंताएँ हैं कि समलैंगिक विवाह की अनुमति देने से कानूनी समस्याएँ उत्पन्न होंगी जैसे कि **विरासत, कर और संपत्ति का अधिकार।**
    - कुछ लोगों का तर्क है कि समलैंगिक विवाह को समायोजित करने के लिये **सभी विधियों और विनियमों को परिवर्तित करना बहुत कठिन होगा।**

आगे की राह

- **सांस्कृतिक संवेदनशीलता:** भारत विभिन्न धार्मिक और सामाजिक मूल्यों के साथ **सांस्कृतिक विविधता वाला देश** है।
    - **समलैंगिक विवाह पर किसी भी विधायी या न्यायिक निर्णय** को लेकर विभिन्न समुदायों की सांस्कृतिक संवेदनशीलता पर विचार किया जाना चाहिये, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि व्यक्तियों के मूल अधिकारों की रक्षा हो।
- **सामाजिक स्वीकृति और शिक्षा: LGBTQIA+ समुदाय** की सामाजिक स्वीकृति के मामले में भारत को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है।
    - विषम लैंगिकता की स्वीकृति और समझ को बढ़ावा देने के लिये शिक्षा एवं जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिये, साथ ही **समलैंगिक विवाह पर विचार किया जाना चाहिये।**
- **अंतर्राष्ट्रीय दायित्व:** भारत विभिन्न **अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों और सम्मेलनों का हस्ताक्षरकर्त्ता है,** जिसके लिये **LGBTQIA+ समुदाय** सहित सभी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है।
    - **कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया** जैसे कई अन्य देशों ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है, **यह अनिवार्य है कि भारत सभी व्यक्तियों के लिये समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित** करने के लिये उनके यौन रूचि की परवाह किये बिना **इसे वैधता प्रदान करे।**

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

Q. भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार की रक्षा करता है? (2019)

(a) अनुच्छेद 19
(b) अनुच्छेद 21
(c) अनुच्छेद 25

(d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (b)

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/centre-opposes-same-sex-marriage